Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर रिश्वत प्रकरण में बाद अनुसंधान दो और व्यक्तियों को ए.सी.बी. ने किया गिरफ्तार**
- **प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ जारी**

जयपुर, *01 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेन्स इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये **रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर रिश्वत प्रकरण** में बाद अनुसंधान दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि राजस्व मंडल, अजमेर में प्रकरणों में निर्णय के बदले रिश्वती राशि के लेनदेन की शिकायत पर तकनीकी निगरानी के पश्चात् दिनांक 9–4–2021 को कार्यवाही करते हुये दो राजस्व मंडल सदस्य आर.ए.एस. अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, भंवरलाल मेहरड़ा व एक दलाल वकील शशिकांत जोशी को गिरफ्तार किया था। उक्त तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध तफतीश पूर्ण कर आरोप पत्र संबंधित सक्षम न्यायालय में पेश किया जाकर अन्य व्यक्तियों के संबंध में अनुसंधान धारा 173(8) जा.फौ. में लम्बित रखा गया था।

प्रकरण के **अनुसंधान अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (इन्टेलिजेन्स) ए.सी.बी., जयपुर** के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा अग्रिम अनुसंधान करते हुये आज **कालूलाल जैन** पुत्र श्री शंकरलाल जैन निवासी सवीना, उदयपुर तथा **हितेश जैन** पुत्र श्री सुमित प्रकाश जैन निवासी महावीर कॉलोनी, उदयपुर को प्रकरण में भूमिका पाये जाने पर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया है। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा दलाल वकील शशिकांत जोशी के माध्यम से राजस्व मंडल सदस्य सुनील शर्मा आर.ए.एस. से अपने हितबद्ध प्रकरणों में मनमाफिक निर्णय कराने हेतु रिश्वती राशि देना तथा बदले में राजस्व प्रकरणों में निर्णय सुनाने के पूर्व ही निर्णय का प्रूफ प्राप्त कर देखने व मनमाफिक संशोधन कराने उपरान्त ही सदस्य से निर्णय करवाना सामने आया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में प्रकरण में अनुसंधान जारी है। आरोपीगण को कल दिनांक 3–9–2021 को न्यायालय में पेश किया जावेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।